न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00302 दायरा दिनांक : 18.02.2019

उनवान

गोपाल सिंह आयु 44 वर्ष, आत्मज अर्जुनसिंह, जाति सोन्ध्या राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– दुलेसिंह आत्मज हरीसिंह, जाति राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़, मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि :–
1/1– सुगनाबाई – विधवा
1/2– श्यामसिंह – पुत्र
1/3– मेहरवानसिंह – पुत्र
1/4– संतोषबाई – पुत्री
1/5– मुन्नाबाई – पुत्री
2– सरदारसिंह
3– बजेसिंह
4– सुजानसिंह आत्मज हरीसिंह, जाति राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़, मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि :–
1/1– प्रेमबाई – विधवा
1/2– उमरावसिंह – पुत्र
1/3– विष्णुबाई – पुत्री
5– सरदारसिंह आत्मज प्यारसिंह
6– रामलाल आत्मज जोरावरसिंह
7– नरवरसिंह मृतक कायम मुकामान –
7/1– नारायण सिंह – पुत्र
7/2– उदेसिंह – पुत्र मृतक –
7/2/1– चतरबाई – पत्नी उदेसिंह
7/2/2– लछमण – पुत्र
7/2/3 नरवर सिंह – पुत्र
7/2/4– जस्सु – पुत्र
7/2/5– सौरभ – पुत्र
7/2/6– विष्णु – पुत्र
7/3– सुल्तान – पुत्र
7/4– कमलाबाई – पुत्री
8– पर्वतसिंह आत्मज भगवानसिंह, जाति राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़, मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि :–
1/1– अर्जुन सिंह – पुत्र
1/2– तेजसिंह – पुत्र – मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि :–
1/2/1– रेशमबाई – विधवा
1/2/2– दिलीपसिंह – पुत्र
1/2/3– निर्मलाबाई – पुत्री
1/3– मेहरवान सिंह – पुत्र
1/4– संतोषबाई – पुत्री
1/5– मुन्नाबाई – पुत्री
9– नाथूसिंह आत्मज भगवानसिंह, जाति राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़, मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि :–
1/1– सज्जनसिंह
1/2– दुलेसिंह
10– मंदिर श्रीरामजी द्वारा व्यवस्थापक पुजारी, निवासी फिरोजपुरा खटकड
11– बापूसिंह आत्मज भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़, मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि :–
1/1– गोरधनसिंह – पुत्र
1/2– गोपालसिंह – पुत्र
1/3– उमरावसिंह – पुत्र

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1/4– रूकमणबाई – पुत्री
1/5– भगतबाई – पुत्री

12– तूफानसिंह आत्मज मोतीसिंह
13– देवीसिंह आत्मज मानसिंह
14– सरदारबाई पत्नी स्वर्गीय मानसिंह
15– थानसिंह आत्मज पृथ्वीसिंह
16– बालूसिंह आत्मज दाणीसिंह, जाति राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़, मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि :–

1/1– लीलाबाई – विधवा
1/2– नरवासिंह – पुत्र
1/3– सरेकंवरबाई – पुत्री

17– हरीसिंह
18– करणसिंह
19– दुलेसिंह
20– गुमानसिंह पिसरान किशनलाल
21– इन्दरसिंह आत्मज भगवानसिंह, जाति राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़, मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि :–

1/1– राघूसिंह – पुत्र
1/2– चन्दरसिंह – पुत्र

22– बलवंतसिंह पिसरान पूरसिंह
23– करणसिंह
24– बापूसिंह पिसरान गंगाराम
25– गुमानसिंह
26– तोफानसिंह
27– तेजसिंह
28– सरदारसिंह
29– बनेसिंह
30– लालसिंह
31– भगतबाई
32– इन्दरबाई पिसरान किशनसिंह
33– भैरूसिंह
34– बालूसिंह
35– जतनबाई पिसरान हिन्दूसिंह
36– मांगूसिंह
37– सज्जनसिंह पिसरान निर्भयसिंह अकवाम राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राजस्थान
38– राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार पिडावा (राजस्थान)
39– भगवानसिंह आत्मज निर्भयसिंह
40– नरवरसिंह आत्मज कालूसिंह
41– मनोहरबाई पत्नी स्वर्गीय कालूसिंह अकवाम जाति राजपूत, निवासीयान फिरोजपुरा खटकड़, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठोड अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 16.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या 69/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2008 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

16/8/2024
(ममता तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया कि ग्राम खटखड पटवार हल्का औसाव, तहसील पिडावा में खाता सं. 178 की कुल किता 31 कुल रकबा 62 बीघा 10 बिस्वा, खाता संख्या 161 की कुल किता 22 कुल रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 179 की कुल किता 1 कुल रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, खाता संख्या 104 कुल किता 5 कुल रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा खाता संख्या 17 कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खाता संख्या 15 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। ग्राम औसाव पटवार हल्का औसाव की खाता संख्या 34 कुल किता 8 में कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 35 कुल किता 1 कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खाता संख्या 308 कुल किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खाता संख्या 280 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित है। ग्राम धर्मचाखेड़ी पटवार हल्का औसाव, तहसील पिडावा में खाता संख्या 62 कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2008 से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादपत्र के पैरा नं. 4 में वर्णित उप–पैरा A, B, C, D, E, F, G, H, I के अनुसार निम्नानुसार बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज करने का आदेश दिया जाता है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की।

A दूलेसिंह, सरदारसिंह, बजेसिंह, सुजानसिंह पिसरान हरीसिंह, जाति सोध्या राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़

ग्राम का नाम	पटवार क्षेत्र का नाम	खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा
खटकड़	ओसाव	161	138	0.03
			144	0.11
			163	0.04
			173	0.11
			194	0.19
			195	0.17
			196	1.01
		178	26	7.10
			35	0.12
			128	0.12
			137	0.03
			143	0.09
			200	0.04
			818	2.11
		104	2	0.08
		17	76	0.06
		15	804	0.02
			817	0.01
		179	34	1.02
			किता–12	**14.00**
ओसाव	ओसाव	34	730 / 1390	0.13
			730 / 1394	1.07
		308	730 / 1274	0.04
			745	1.04
		280	739	0.09
			किता–5	**3.17**
धर्मच्याखेड़ी	ओसाव	62	46 / 49	0.18
			किता–1	**0.18**

कुल योग किता 25 रकबा 23.12

B सरदार सिंह दत्तक पुत्र प्यारसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड

ग्राम का नाम	पटवार क्षेत्र का नाम	खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा
खटकड़	ओसाव	161	138	0.03
			179	0.09

16/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

		178	137	0.04
			200	0.04
			814	2.04
		104	2	0.08
		17	76	0.05
		15	804	0.02
			817	0.01
			किता–9	3.17
ओसाव	ओसाव	34	730 / 1395	2.04
			किता–1	2.04
धर्मच्याखेड़ी	ओसाव	62	46 / 49	0.18
			किता–1	**0.18**

कुल योग किता 11 रकबा 7.07

C रामलाल आत्मज जोरावरसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़

ग्राम का नाम	पटवार क्षेत्र का नाम	खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा
खटकड़	ओसाव	161	16	0.19
			17	0.07
			107	2.08
			138	0.03
			144	0.11
			246	0.03
			259	0.13
			728	1.03
			729	1.10
			730	3.08
			762	2.01
		178	26	0.12
			87	5.01
			103	0.13
			120	1.02
			128	1.02
			137	0.03
			143	0.09
			200	0.04
		104	2	1.17
		17	76	0.05
		15	804	0.02
			817	1.01
		179	34	1.01
			किता–24	25.18
ओसाव	ओसाव	35	730	0.06
		280	740	1.06
		308	745	1.04
			किता–3	2.16
धर्मच्याखेड़ी	ओसाव	62	46 / 49	0.17
			किता–1	**0.17**

कुल योग किता 28 रकबा 30.14

D नरवरसिंह आत्मज भगवानसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़

ग्राम का नाम	पटवार क्षेत्र का नाम	खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा

16-8-2024

([illegible] कुमारी तिवारी)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खटकड़	ओसाव	161	138	0.03
			35	0.12
			87	6.00
			91	1.05
			120	1.01
			137	0.03
			161	0.09
			175	0.07
			176	0.05
			200	0.04
			743	1.10
			760	2.16
		104	2	0.07
			8	0.04
			10	0.06
			112	0.02
			178	0.11
		17	76	0.05
		15	804	0.02
			817	0.01
		179	34	1.02
			किता–21	17.15
ओसाव	ओसाव	308	745	1.17
			किता–1	1.17
धर्मच्याखेड़ी	ओसाव	62	46 / 49	0.18
			किता–1	**0.18**

कुल योग किता 23 रकबा 20.10

E पर्वतसिंह आत्मज भगवानसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़

ग्राम का नाम	पटवार क्षेत्र का नाम	खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा
खटकड़	ओसाव	161	107	1.04
			138	0.03
			787	1.07
		178	35	0.12
			54	2.02
			83	3.10
			128	0.11
			137	0.03
			160	0.08
			175	0.08
			176	0.04
			191	0.11
			200	0.04
			790	1.08
		104	2	0.07
		17	76	0.05
		15	804	0.02
			817	0.01
		179	34	1.01
			किता–19	14.11
ओसाव	ओसाव	34	730 / 1389	0.12
			730 / 1390	0.13

16-8-2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

		308	745	1.03
			किता–3	2.08
		62	46/49	0.18
धर्मच्याखेड़ी	ओसाव		**किता–1**	**0.18**

कुल योग किता 23 रकबा 17.17

F नाथूसिंह आत्मज भगवानसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़

ग्राम का नाम	पटवार क्षेत्र का नाम	खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा
खटकड़	ओसाव	161	85	5.13
			138	0.03
			153	1.03
			805	2.01
		178	35	0.12
			83	4.08
			137	0.03
			152	1.06
			157	0.15
			183	0.09
			191	0.10
			200	0.04
			241	0.03
			265	0.11
			744	1.11
		104	2	0.07
		17	76	0.05
		15	804	0.02
			817	0.01
		179	34	2.02
			किता–20	22.09
ओसाव	ओसाव	308	733	0.10
			745	1.17
			किता–2	2.07
धर्मच्याखेड़ी	ओसाव	62	46/49	0.18
			किता–1	**0.18**

कुल योग किता 23 रकबा 26.05

G मंदिर मूर्ति श्री रामजी, निवासी फिरोजपुरा खटकड़

ग्राम का नाम	पटवार क्षेत्र का नाम	खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा
खटकड़	ओसाव	178	38	1.12
			42	0.19
		179	34	3.00
			किता–3	5.11
ओसाव	ओसाव	34	729	0.02
		308	730/1274	0.04
			किता–2	0.06

कुल योग किता 5 रकबा 5.17

H प्र.सं. 7 से 33 व प्र.सं. 35 से 37, निवासी फिरोजपुरा खटकड़

ग्राम का नाम	पटवार क्षेत्र का नाम	खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा
खटकड़	ओसाव	178	271	0.04

16-8-2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

			2	9.04
			8	0.10
			10	0.15
			112	0.04
			178	2.19
		17	76	3.19
		15	804	1.08
			817	0.16
			किता–9	19.09
ओसाव	ओसाव	34	729/1391	0.07
			730/1392	0.09
			730/1393	0.05
		35	730	1.10
		308	130/1276	0.04
			किता–5	2.15

कुल योग किता 14 रकबा 22.14

I सज्जनसिंह आत्मज नाथूसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी फिरोजपुरा खटकड़

ग्राम का नाम	पटवार क्षेत्र का नाम	खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा
ओसाव	ओसाव	308	745	1.03
			किता–1	1.03

कुल योग किता 1 रकबा 1.03

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपीलार्थी द्वारा ग्राम खटकड़ में स्थित आराजी खसरा नं. 76 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के सहखातेदार तेजसिंह का 1/7 हिस्सा दिनांक 13.10.1999 को जर्ये पंजीकृत बयनामा उपपंजीयक पिडावा के न्यायालय में विधिवत निष्पादित कराते हुए खरीद किया था, किन्तु वादपत्र के सलंग्न जमाबंदी संवत 2061–64 में प्रविष्टी नहीं होने के कारण अपीलार्थी का नाम खातेदार के कॉलम में न आया था जिस बारे में वाद में किसी भी पक्षकार द्वारा न्यायालय को कोई जानकारी भी नहीं दी गई। परिणामस्वरूप न्यायालय ने उसके समक्ष जमाबंदी में दर्ज खातेदारान का नाम ही समस्त आराजी का बंटवारा की डिक्री पारित की, अपीलार्थी का नाम यद्यपि जमाबंदी संवत 2064–67 में आ गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री के निष्पादन सलंग्न जमाबंदी संवत 2061–64 के अनुसार होने से इसके उपरान्त बनने वाली जमाबंदियों में अपीलार्थी का नाम नहीं आ सका, जिस कारण अपीलार्थी विधिवत क्रय के आधार पर भी खातेदारी अधिकारों के अर्जन पर भी उसके खातेदारी अधिकार खत्म हो गये जिस कारण वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से प्रभावित है व दिनांक 13.10.1999 को उपपंजीयक पिडावा के कार्यालय में निष्पादित पंजीकृत बयनामा के आधार पर अर्जित खातेदारी की प्रविष्टियों के अनुसार उक्त आराजी की खातेदारी में अपना संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज करवाकर विधिवत बंटवारा चाहता है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का अपील के चरण क्रम 1 के वर्णन के अनुसार उक्त आराजी की खातेदारी में अपना संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज करवाकर विधिवत बंटवारा चाहता है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.12.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपीलांट ने अपील के साथ धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें निवेदन किया कि वादीगण ने वादपत्र के चरण 4 के अनुसार वर्णित आराजीयात को पुश्तैनी आराजीयात बताते हुए मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार हो रहे बंटवारे को अपने वादपत्र के अभिवचन में वर्णित करते हुए आराजी का बंटवारा करने का अनुतोष चाहा जिस पर आधारित शपथ पत्रों तथा प्रदर्शित दस्तावेजों को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी का बंटवारा कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 29.12.2018 को होने पर अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से माननीय न्यायालय में अपने हकों व अधिकारों हेतु अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपीलार्थी को संस्थित अपील पर विधिवत अनुमति प्रदान करते हुए अपील दर्ज करने की कृपा करें।

16-8-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी में अपीलांट का नाम नहीं था। दिनांक 13.10.1999 को हमने वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड सेलडीड से कय की है। वादग्रस्त आराजी में मेरा 1/7 हिस्सा है। तेजसिंह से वादग्रस्त आराजी मैंने खरीद की है। वादग्रस्त आराजी का बंटवारे में हिस्सा पूर्व खातेदार को दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर मुझे मेरा हिस्सा दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री भी नहीं बनायी सीधे ही प्रकरण में फाईनल डिक्री जारी कर दी गई जो त्रुटिपूर्ण है।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि दिनांक 13.10.1999 को तेजसिंह पुत्र पर्वत सिंह, निवासी फिरोजपुरा खसरा नं. 76 वाके ग्राम खटकड में 3/7 हिस्से में से 1/7 हिस्सा अपीलांट गोपाल पुत्र अर्जुन सिंह के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया गया।

सम्वत 2065–2068 की जमाबंदी में भी अपीलांट गोपाल आत्मज अर्जुन सिंह का हिस्सा 1/7 होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.04.2008 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट को उसके हिस्से पर खातेदार दर्ज नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में सिद्ध होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के हिस्से तक निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2008 अपीलांट के हिस्से तक अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तेजसिंह आत्मज पर्वत सिंह विकेता एवं गोपाल सिंह आत्मज अर्जुन सिंह केता अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रहेगा। तेजसिंह व गोपाल को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16-8-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा